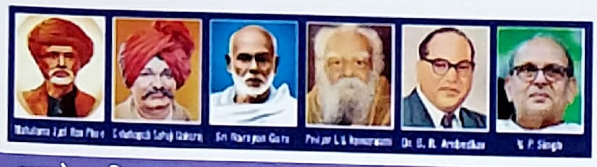

वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रू.20/-

अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिकी
अंक - 23, दिसम्बर 2020

एक भयावह संक्रमित काल के मध्य

अभिनंदन नव वर्ष

जैसे धीरे धीरे
सब कुछ ठहर-सा गया
और हाथों की पकड़ ढ़ीली पड़ने लगी

एक भयावह,
अनजाना-सा, विकृत, कुरूप डर
हमारे अंदर समाने लगा...

और जीने के सारे राग-रंग
बेरंग होने लगे ...

जीवन को रूला देने वाली मासूम तस्वीरें
दुनिया-भर की डरावनी सूचनाएं
सचमुच हमें रोज विचलित करती रही हैं ...

ऐसे में उम्मीद को थामे रहना
ऐसे में जिजीविषा को सम्भाले रखना
ऐसे में दुनिया-भर में नए हौसलों, और
पस्त होती हिम्मत को बांधे रखना
सच में
मनुष्यता की सबसे बड़ी विजय-गाथा है

– डॉ० अमृतांशु

AIOBC

www.aiobcfederation.org
e-mail : aiobcfederation@gmail.com
Mobile: 938 100 7998

AIOBC
ALL INDIA FEDERATION OF OTHER BACKWARD CLASSES
EMPLOYEES' WELFARE ASSOCIATIONS
Correspondence Address : 139, Broadway, Chennai - 600 108 (Regd, 40/1993)

#ABOLISH CREAMY LAYER

RESERVATION

CONSTITUTIONAL RIGHT; NOT POVERTY ALLEVIATION SCHEME

27%

27 YEARS

DETRIMENTAL EFFECT OF CREAMY LAYER IMPOSED ON OBCs (since 1993)

Representation of OBCs in Central Government Ministries/Departments (**01.01.2016**)

GROUP	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	OBC EMPLOYEES	
		NUMBER	PERCENTAGE
GROUP A	84,705	11,016	13.01%
GROUP B	2,90,941	42,995	14.78%
GROUP C (EXCLUDING SAFAI KARAMCHARI)	28,34,066	6,41,930	22.65%
GROUP C SAFAI KARAMCHARI	48,951	7,076	14.46%
TOTAL	32,58,663	7,03,017	21.57%

(Page 65-66 of OBC Committee Report dt: 28.2.2019)

REPRESENTATION IN FACULTY POSITIONS IN IIM/IIT:

	TOTAL	GEN	OBC	SC	ST	UNFILLED VACANCIES
IIM (18)	784	590	27	8	2	157
IIT (23)	8,856	4,876	329	149	21	3,481

Source: The Print, dt: 13.2.2019

REPRESENTATION IN 40 CENTRAL UNIVERSITIES:

	TOTAL	GEN	OBC	SC	ST
PROFESSORS	1,125	1,078	0	39	8
ASSOCIATE PROFESSORS	2,620	2,456	0	130	34
ASSISTANT PROFESSORS	7,741	5,274	1,113	931	423

Source: Indian Express 17.1.2019

Representation in Deputy Secretary Grade and above under **Central Staffing Scheme:**

GRADE	TOTAL	OBCs	SCs	STs
Secretary	89	0	1	3
Addl.Secretary	93	0	6	5
Jt.Secretary	275	19	13	9
Director	288	40	31	12
Dy.Secretary	79	21	7	3

(SOURCE: Rajya Sabha Unstarred Question No.727 dt: 27.6.2019)

If the Government implement 'salary income' also under Income Test for identifying creamy layer, then it will further downgrade the representation of OBCs. Let us join together to protect SOCIAL JUSTICE.

(Compiled by: G.Karunanidhy, Gen.Secretary, AIOBC Federation)

• डॉ. अमृतांशु

जनगणना 2021 : जाति आधारित आंकड़ों से परहेज बनाम स्वस्थ समाज के पोषक

वर्ष 2021 में होने वाले जनसंख्या गणना में जाति आधारित जनगणना शामिल करने के तर्क रखने से पहले कुछ बातें पृष्ठभूमि में कहना चाहुंगा। इससे पहले इस अंक के प्रकाशन में अतिशय विलम्ब के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। कई कारणों में एक विश्व में फैले जानलेवा कोरोना संक्रमण की भयावह बिमारी भी रही हैं।

कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और यादों के माध्यम से अपनी बातें रह रहा हूँ। 13 दिसम्बर 2006 की शाम 6:42 मिनट। भारतीय संसद में ऐतिहासिक "शिक्षा बिल" पूरी बहस के बाद पूर्ण बहुमत से पास हो चुका था। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी। अर्थात देश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों मसलन आई. आई. टी., आई. आई. एम., एम्स आदि शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थीयों के प्रवेश में 27 प्रतिशत के आरक्षण की लम्बी लंबित मांग पूरी हो गई थी। मैं और फेडरेशन के महामंत्री श्री करूणानिधि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रत्यक्षदर्शी थे।

14 दिसम्बर 2006 को दिल्ली के 11 जनपथ में पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी के कन्वेनर श्री वी.हनुमंत राव के घर फोरम की मिटिंग रखी गई। तात्कालीन मानव संसाधन मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह मुख्य अतिथि थे। उपस्थित सभी सांसदों एवं अतिथियों के लिए यह जश्न का दिन था। पूरे देश के पिछड़े वर्गों के लिए यह अविस्मरणीय दिन था।

शिक्षा बिल 2006 के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका एम्स के रेजीडेंट डॉक्टरों की संस्था यूथ फॉर इक्वालिटी और यू कैन विन के लेखक शिव खेड़ा की ओर से की गई थी।

लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर इस बिल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल कर दी गई। याचिका एम्स के रेजीडेंट डॉक्टरों की संस्था यूथ फॉर इक्वालिटी और यू कैन विन के लेखक शिव खेड़ा की ओर से की गई थी। तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर स्टे लगा दिया। जिसकी पहली सुनवाई 8 मई 2007 को सुनिश्चित हुई।

सर्वोच्च न्यायालय, 8 मई 2007। मैं और करूणानिधि, देश के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण आरक्षण से जुड़े बिल की सुनवाई के लिए वहां उपस्थित थे। जब हम सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश की अनुमति पत्र लेकर आए, हमने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर 20–25 नौजवान लड़कों और लड़कियों का समूह खड़ा था। सबने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर YOUYH FOR EQUALITY लिखा था। कोर्ट न0 4। सुप्रीम कोर्ट का बृहदाकार न्यायायिक कमरा। माननीय जस्टिस श्री अरिजीत पसायत और श्री आर. एस.रवीन्द्रन उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से श्री रामजेठ मलानी और केरल से श्री पारासरन केस की सिफारिश कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण विन्दुओं पर बहस के बाद सुनवाई अगले दिन 9 मई 07 के लिए स्थगित कर दी गई। पुनः 9 मई 07 को सुनवाई के पश्चात अंतिम निर्णय हेतु पुरे मसले को मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी गई।

वॉइस ऑफ ओबीसी
अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिक पत्रिका
अंक - 23, दिसम्बर 2020
संपूर्ण संचालन अवैतनिक
(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)
संरक्षक
प्रो. एस.एस. कुशवाहा
परामर्श
जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम
प्रकाशक
रानी अमृतांशु
संपादक
अशोक आनंद
9415224153
मानद संपादक
डॉ. अमृतांशु
9918306777
मानद सह संपादक
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
विक्रांत कुमार
9918501891
प्रबंधक
अरविन्द कुमार
सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार पवन कु.पटेल, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, बृज लाल, पंकज कुमार, अशोक यादव
पत्राचार
ई-मेल : aiobc.up@gmail.co
कटरा सं. 77, पी.सी.एफ. प्लाजा
नदेसर, वाराणसी-221002
इस अंक सहयोग राशि : 20 रुपये
डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक
"Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।
प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।
प्रकाशित लेखों संदर्भो के पुर्नप्रकाशन से पूर्व अनुमति ले।
समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।
मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, वाराणसी। मो.: 9415623047

बहस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों की पूरी जनसंख्या पर अद्यतन जानकारी नहीं उपलब्ध है। माननीय जजों ने कहा कि बिना किसी आधार के आरक्षण "हाउ लॉग" एण्ड " ऑन व्हवाट बेसिस"। आखिरी आधार 1931 की जनगणना है और इसके बाद काफी वक्त गुजर गया है। अन्ततः एक लम्बी बहस के बाद Ashok Kumar Thakur V/S Union of India case (2008)6 scc 1, संशोधन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में 27 प्रतिशत आरक्षण को वैधता की स्वीकृति दे दी।

माननीय जजों ने कहा कि बिना किसी आधार के आरक्षण "हा ऊ लॉग" एण्ड " ऑन व्हवाट बेसिस"। आखिरी आधार 1931 की जनगणना है और इसके बाद काफी वक्त गुजर गया है।

स्पष्ट रूप से हमें जानना चाहिए कि भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ग विभाजन एक न झुठलाया जाने वाला सच है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा बिल की सुनवाई के दौरान कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों के पहचान में जाति एक बड़ा कारक है।

एक अन्य केस M.Nagaraja V/S Union of India case (2006)8 scc 212 के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर दुहराते हुए जोर दिया कि किसी भी आरक्षण नीति को सपोर्ट करने के लिए उससे जुड़े आंकड़ों का इक्कट्ठा किया जाना अति आवश्यक है।

भारतीय जनगणना के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर गौर करे तो पाते हैं कि यहां जनसंख्या का आकलन प्रत्येक दस साल के अन्तराल पर होता है। भारत में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, देश में जनगणना नियोजित करने, आंकड़ों को जुटाने एवं कम्पाइलेशन करने के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण इसके आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं रहे। इसलिए पूर्ण जनसंख्या आकलन, देश के सभी क्षेत्रों में 1881 में सम्पन्न कराया गया । आजादी के बाद 6 वीं बार जनगणना 9 से 28 फरवरी 2001 को सम्पन्न हुई थी। 2011 में की गयी जनगणना सातवीं बार है। 2021 में वृहद जनगणना का प्रस्तावित हैं।

जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों को इकक्ट्ठा करने के पीछे ठोस उद्देश्य और तर्क हैं जिन्हें गैर महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।

भारत केवल राज्यों का संघ नहीं हैं। बल्कि यह जातियों, जनजातियों, समुदायों का भी संघ है। प्रत्येक जातियों, उपजातियों और समुदायों के पर्सनल लॉ को जारी रखने की पूरी स्वीकृति भारतीय संविधान देता है, जो भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व प्रयोग में थे। ऐसे समुदाय जो जन्म से समानता पर विश्वास करते थे, जो गैर बराबरी वाले जातियों में विभाजित नहीं थे, उनमें भी हिन्दू जाति व्यवस्था की तरह विभाजन हुआ। भारत में जाति व्यवस्था केवल सामाजिक स्तर पर नहीं है। बल्कि समाज के राजनैतिक एवं रोजगार स्तर पर भी है। इसलिए देश के विकास के लिए योजनाओं को बनाने के लिए भी देश में रहने वाले प्रत्येक जाति, जनजाति, समुदाय के बारे में पूरी जानकारी वाले आंकडे संग्रहित करना आवश्यक हैं। साथ ही यह भी भारत सरकार का दायित्व है कि समय समय पर जाति आधारित आंकडे इक्कट्ठा कर समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करे। स्वयं भारत सरकार गावों का सामाजिक भौगौलिक अध्ययन करने के लिए जनगणना के समय गावों में रहने वालों के घरों में उपलब्ध सामानों/उपकरणों के भी आंकड़ों एकत्रित किए जाते है।

1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना। आयोग के अध्यक्ष श्री काका कालेलकर ने लिखा है गणतंत्र भारत का पहली जनगणना 1951 में हुई थी और इसमें जाति आधारित जनगणना नहीं एकतित्र की गई । बिना वास्तविक एवं प्रमाणिक आंकड़ों के किसी फैसले पर आना कठिन है।

(चैप्टर –1 पॉरा संख्या , काका कालेलकर कमीशन 1953)

अन्य कमीशन जो पिछड़े वर्गों के लिए स्थापित किए गए जिनमें हवानुर 1975 एवं मण्डल कमीशन 1980 की रिफारिशों को देखें तो पाएगें कि इन सभी ने जाति आधारित आंकड़ों को इकक्ट्ठा करने की जोरदार रिफारिश की है और चिंता जाहिर की है कि आखिर पिछड़े वर्गों से जुड़ी जानकारियां क्यों नहीं इकक्ट्ठा की गई है। परन्तु आज तक इन रिफारिशों को न तो अमल में लाया गया न ही इन पर विचार किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार राज्यों का निहित है इसके अंतर्गत रोजगारपक शिक्षा या उच्च शिक्षा में आरक्षणका प्रावधान होता है

संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार राज्यों का निहित है इसके अंतर्गत रोजगारपक शिक्षा या उच्च शिक्षा में आरक्षणका प्रावधान होता है

से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार राज्यों को निहित है। इसके अंतर्गत रोजगारपरक शिक्षा या उच्च शिक्षा में आरक्षणका प्रावधान होता है। ऐसे में पिछड़े वर्गों की वास्तविक पहचान के लिए अति महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जातियों की कुल जनसंख्या का आकलन किया जाए। यह भी आकलन किया जाए कि किस जाति का कितना प्रतिशत शिक्षित है। कितने प्रतिशत स्नातक हैं, कितने प्रतिशत डॉक्टर हैं, कितने प्रतिशत इंजीनियर है। कितने प्रतिशत अन्य व्यवसायों से जुड़े है। कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में है, कितने प्रतिशत प्रशासनिक अधिकारी आदि, और ये आंकड़े तभी प्राप्त हो सकते हैं जब जाति एवं आर्थिक आधरित आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण का लाभ वैसे पिछड़े वर्गो को मिलेगा जिनका राज्य सेवाओं में प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ प्रयाप्त से मतलब उस जाति का राज्य की कुल जनसंख्या में समानुपात से है। इसलिए भी जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है।

प्रायः जाति आधारित जनगणना न करने के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क आधारहीन और सत्य से परे हैं। प्रायः यह तर्क दिए जाते है कि जाति आधारित जनगणना से समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्या यह सोच पूर्वग्रह से भरा नहीं है। क्या यह सोच किसी खास वर्ग के नहीं हैं। अन्यथा 90 वर्षों से नहीं किए जा रहे जाति आधारित जनगणना से समाज में जाति व्यवस्था की नींव क्यों नहीं कमजोर हो पाई। 90 वर्षों के भीतर जातिगत आंकड़ों के नहीं जुटाने से क्यों नहीं कोई सामाजिक परिवर्तन (Social transformation) हो पाया। जबतक और जबतक जनसंख्या के अनुपात में सभी जातियों, समुदायों, वर्गों का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जब तक सामाजिक प्रतिष्ठा में वर्चस्व की लड़ाई समानता और समरसता में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक समाज में समानता और आत्म सम्मान के संघर्ष होते रहेगें। इसलिए जाति आधारित आंकड़ों को न इक्कट्ठा करना और तथ्यों को प्रभावित करने के लिए आधारहीन तथ्य प्रस्तुत करना समाज के लिए घातक है। और तथ्यों को छिपाना स्वस्थ समाज के निर्माण में बाधक है, फलस्वरूप घातक भी है।

> 90 वर्षों से नहीं किए जा रहे जाति आधारित जनगणना से समाज में जाति व्यवस्था की नींव क्यों नहीं कमजोर हो पाई।

फरवरी 2021 को समाप्त होने वाले जनसंख्या आकलन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति और अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या को जानने के लिए कवायद की जा रही है। परन्तु ओबीसी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 338, 340 के जरिए पिछड़ी जातियों का एक विशेष वर्ग है, के लिए जनसंख्या के आकलन का कोई प्रावधान नहीं है। निसंदेह यह तकलीफदेह है। हमें भारत सरकार को पूरे विश्वास के साथ बताना होगा कि एक सफल और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समाज के हर व्यक्ति के विकास को राष्ट्रीय एजेंटे में शामिल करना होगा। 60 प्रतिशत की पिछड़ों की आबादी मजबूत भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती रही है। लेकिन तमाम प्रभावशाली बड़े पदों पर इनका प्रतिशत नगण्य है। क्या इससे यह मान लेना चाहिए कि पिछड़ों के पास प्रतिभा की घारे कमी है या फिर यह वर्ग निर्णायक पदों पर बैठे प्रभावशाली व्यक्तियों के पूर्वग्रह के शिकार हैं। आप और हम इन 60 प्रतिशत पिछड़ों के भविष्य के विश्लेषण के दायित्व से अपने को बचा नहीं सकते।

> क्या इससे यह मान लेना चाहिए कि पिछड़ों के पास प्रतिभा की घारे कमी है या फिर यह वर्ग निर्णायक पदों पर बैठे प्रभावशाली व्यक्तियों के पूर्वग्रह के शिकार हैं।

Blog : signpost2.blogspot.com
E-mail : aiobc.up@gmail.com

Tele : 26189210
Fax : 26183227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली – ११००६६
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110066

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
Government of India
MINISTRY OFSOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTCE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

F. No. NCBC/06/05/214/2020 **Date:15.07.2020**

Hearing Notice

To,

1. **Secretary,**
   Ministry of Health and Family Welfare,
   Nirman Bhawan, Near Udyog Bhawan Metro Station,
   Maulana Azad Rd, New Delhi-110011
   Email: Secyhfw@nic.in

2. **DDG, Medical**
   Medical Counsel Committee,
   Directorate General of Health Services,
   Ministry of Health and Family Welfare,
   Nirman Bhawan, New Delhi-110108.

Sub: Complaint by Shri G. Karunanidhy, General Secretary, All India Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association, Chennai against zero reservation to OBC in PG Medical admission under AIQ.

Sir,

National Commission for Backward Classes, a Constitutional body set up under Article 338B of the Constitution is inter-alia, entrusted with duties to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of Backward Classes and has been given powers of civil court to deal with the complaints.

2. **Dr. Bhagwan Lal Sahni**, Hon'ble Chairman, National Commission for Backward Classes, has fixed a full Commission Hearing on **23.07.2020** at **01:30 PM** through Video Conference for investigation/inquiry/action to be taken in the matter.

3. Accordingly, you are requested to make it convenient to attend the Hearing. For any query regarding Video Conferencing and other issues, **Research Wing (011-26189210)** and **Shri Dinesh Kumar, PS to Hon'ble Chairman (9717883747)** may be contacted.

Yours faithfully,

M. M. Chattopadhyay
(Dr. M. M. Chattopadhyay)
Joint Director
011-26189211

Copy to:
1. Shri G. Karunanidhy, General Secretary, All India Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association, R/o 139, Broadway, Chennai- 600108 for information.
2. PS to Hon'ble Chairman/ Vice Chairman/ Member (SY)/ (KSP)/ (AT)/ Secretary
3. DS/ US/ RO (R)/ RO (A).

नोट : AIOBC के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग को P.G. Medical में Zero आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके प्रति उत्तर में आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग एवं Medical Counsel Committee से जवाब-तलब किया। - सम्पादक

www.aiobcfederation.org
e-mail : aiobcfederation@gmail.com
Mobile: 938 100 7998

AIOBC

AIOBC
ALL INDIA FEDERATION OF OTHER BACKWARD CLASSES EMPLOYEES' WELFARE ASSOCIATIONS

(National Organisation representing Central Govt. and Public Sector OBC Employees) (Regd, 40/1993)

Correspondence Address : 139, Broadway, Chennai - 600 108

President
V.Hanumantha Rao,Ex.M.P
Ex.Convenor, OBC MPs Forum

Working President
J.Parthasarathy
Editor, Voice of OBCs

General Secretary
G. Karunanidhy
(Union Bank of India)

Treasurer
M.Elangovan
(IIT-Madras)

Vice Presidents
Asok Kr.Sarkar
(West Bengal Federation)
V.N.Purushothaman
(NLC, Neyveli)
U.Chinnaiah
(Telangana State Federation)
M.S.Rajarajan
(BHEL, Trichy)
V.Danakarna Chary
(Telangana State Federation)

Dy.Gen.Secretaries
M.George Fernandez
(Bank of Baroda)
S.Ravikumar
(HAL, Hyderabad)

Organising Secretaries
Dr.Amritanshu
(UP State Federation)
Raama.Vhempaiyan
(CPCL)

Secretaries
Pradeep Dhoble
(Air India, Mumbai)
G.Mallesh
(GIC-Oriental Insurance)
Ravindra Ram
(Bihar State Federation)
S.Anbu Kumar
(ICF, Chennai)
Reba Handique
(Assam State Federation)
Niranjan Bhowmick
(Reserve Bank of India)
A.Rajasekaran
(Indian Overseas Bank)
T.Muthukumaran
(Madras Fertilizers Ltd)
V.Karunakar
(BDL, Telangana State)
S.Prabakaran
(GIC-New India Assurance)
G.Pandu
(Ordnance Factory, Medak)
G.Ramraj
(BHEL, Hyderabad)

Asst. Treasurer
S.Ramamoorthy
(ESIC)

16th December 2020

Respected
Thiru. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'
Hon'ble Minister of Education
Govt. of India
New Delhi

Respected Sir,

Reservation in Faculty Positions in IITs
Request to Reject the Committee's report recommending exemption of reservation policy in faculty recruitment in IITs

We are shocked to know that a Committee constituted by the Ministry of Education (MoE) to suggest measures for effective implementation of reservation policies in IITs has recommended **that IITS be exempted from implementing reservation policies for OBC, SC and STs in faculty recruitments** viz., Professor, Associate Professor and Assistant Professor level posts and the **report is under examination of the Government.**

The Committee, it is learnt, was constituted in April 2020 with Director of IIT Delhi, V. Ramgopal Rao, as its Chairperson and the Director of IIT Kanpur, Registrars of IIT Bombay and IIT Madras, and representatives from Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE), Ministry of Tribal Affairs, Department of Personnel and Training and Department of Persons with Disabilities as members.

The Committee's recommendations are based primarily on three arguments:

i) the need for IITs to maintain their academic excellence

ii) low enrolment of reserved category students in Ph.D programmes in IITs, and this was severely limiting the number of reserved category candidates available to be hired as faculty in the IIT system.

iii) the lack of candidates from the reserved categories who fulfil the qualification criteria.

Contd... 2

In its report, obtained by an activist through a Right to Information Act application, the **Committee has suggested:**

I) IITs be included in the list of Institutes of Excellence that are exempted from reservation policies under the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act (CEI Act) of 2019.

ii) the implementation of reservation policies for all reserved categories **be restricted just to Assistant Professor Grade I and Grade II** and not for levels above.

iii) vacancies not filled in a particular year due to non-availability, be **de-reserved in the subsequent year**.

At the outset, we request that the recommendation of the Committee headed by Prof.V.Ramgopal Rao **be rejected in toto**.

The Committee's report gives a wrong opinion that 'quality and excellence' being watered down because of reservation policy but the fact remains as seen from government data reveals that the representation of OBC, SC and ST in faculty position is less than 5% and the remaining **95% faculty positions occupied by the upper caste only.**

From the very beginning, the Central Educational Institutions including IITs have not implemented reservation policy in Faculty positions sincerely and seriously which has been repeatedly pointed out by the Parliamentary Committee for OBC and other welfare associations including our AIOBC Federation.

We furnish below data that shows dismal representation of OBC, SC and ST, both in IITs and IIMs as well as in Central Universities.

REPRESENTATION IN FACULTY POSITIONS IN IIM/IIT:

	TOTAL	GEN	OBC	SC	ST	UNFILLED VACANCIES
IIM (18)	784	**590 (75.25%)**	**27 (3.44%)**	**8 (1.02%)**	**2 (0.25%)**	**157 (20%)**
IIT (23)	8856	**4876 (55.05%)**	**329 (3.71%)**	**149 (1.68%)**	**21 (0.23%)**	**3481 (39%)**

Source: The Print, dt: 13.2.2019

REPRESENTATION IN 40 CENTRAL UNIVERSITIES:

	TOTAL	GEN	OBC	SC	ST
PROFESSORS	**1125**	**1078 95.82%**	**0**	**39 3.47%**	**8 0.7%**
ASSOCIATE PROFESSORS	**2620**	**2456 93.74%**	**0**	**130 4.96%**	**34 1.3%**
ASSISTANT PROFESSORS	**7741**	**5274 68.13%**	**1113 14.38%**	**931 2.02%**	**423 5.46%**

Source: Indian Express 17.1.2019**

In a recent article written by two Faculties of University of Delhi and published in newspaper, it is stated that **"OBCs occupy only around 1% of top teaching posts"**. It further states, ***'Though OBCs account for about 50% of the country's population, their representation in all faculty positions in all central educational institutions is only 9.8%. According to a recent report by the University Grants Commission, only 13.87% of positions at the Assistant Professor-level in central universities were occupied by OBCs. The representation became almost negligible at higher levels, i.e. those of Associate Professor and Professor, accounting for just 1.22% and 1.14%, respectively.' (The Hindu dt: 2.7.2019).***

Another report as obtained by a RTI activist and published in a journal reveals the backlog position of OBC, SC and ST in faculty positions as under:

'If we talk about the posts of professors, according to the UGC, 82.82 per cent posts reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, 93.98 per cent posts reserved for Scheduled Tribes and 99.95 per cent posts reserved for Other Backward Castes even today. Are empty. If we talk about the posts of Associate Professor, the situation looks equally bad: 76.57 percent posts reserved for Scheduled Castes, 89.01 percent posts reserved for Scheduled Tribes and 94.30 percent posts reserved for Other Backward Castes are vacant.' (published in mediavigil.com dt:6.8.2020).

In view of the continuous petitions by our Federation and other OBC and SC/ST welfare associations as well as the reports given by the Parliamentary Committee for OBC, the University Grants Commission vide its order dated 19.10.2020 has again instructed all Central /State/Deemed-to-be Universities to implement reservation policies in teaching and non-teaching posts and also fill up the remaining backlog reserved vacancies.

Our Federation has been consistently voicing that the **concept of 'creamy layer' imposed on OBCs has restricted the eligible OBC candidates** from availing reservation policy and for the low enrolment of reserved category

students in Ph. D programmes in IITs, and this is the only reason for limiting the number of reserved category candidates available to be hired as faculty in the IIT system as well in all other Institutions also.

Instead of the addressing the issue on this perspective, the **Committee has taken negative stand of exclusion of reservation policy which is highly retrograde and objectionable.**

Even after nearly 27 years of reservation policy of 27% for OBCs in direct recruitments, it is really unfortunate that the less than 1% of OBCs represent in top teaching posts.

The Central Universities including the Benaras Hindu University, Varanasi, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, National Law Universities are not implementing reservation policies both in admission and faculty recruitments which from our Federation, we have brought to your kind attention.

It is our submission that the authorities concerned in CEIs should be made known that the implementation of reservation policy is a constitutional obligation and any violation should attract strong disciplinary action.

We therefore request your goodself to kindly:

1) Reject the recommendations of the Committee's report headed by Prof.Ramgopal Rao and
2) Direct all the Central Educational Institutions including IITs to ensure that all the vacant posts of reserved categories – OBC, SC and ST – in particular are filled up early and if necessary, by a special recruitment drive as recommended by the Parliamentary Committee for OBC.

We request your kind consideration.

With respectful regards,

Yours sincerely,

(G.KARUNANIDHY)
GENERAL SECRETARY

Copy submitted to:

Hon'ble Thiru.Thaawarchand Gehlot, Minister of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, New Delhi.

Dr.Bhagwanlal Sahani, Chairperson, NCBC, New Delhi.

Respected Thiru.Ganesh Singh, M.P., Chairperson, Parliamentary Committee for OBC, New Delhi.

At meet with NCBC, Shah seeks data on recruitment backlog

SHYAMLAL YADAV
NEW DELHI, JULY 22

Amit Shah

HOME MINISTER Amit Shah has asked the National Commission for Backward Classes (NCBC) to gather more data on backlog in recruitment, and find out if there are instances of appointment of general category candidates on posts reserved for OBCs as "None (of the OBC candidates) Found Suitable", sources said.

Shah sought this information at a meeting with the NCBC at his office on Tuesday. He had called the meeting to discuss the government's proposal regarding inclusion of salary in family income to decide the creamy layer. Sources said that the chairman and other four members of the NCBC raised concerns that a huge number of OBC-reserved posts are already vacant in central government and academic institutions.

NCBC chairman Bhagwan Lal Sahni said, "We said that if the new criteria are implemented, the representation of OBCs will decrease drastically. Shah listened to all of us and asked for some data in support of the points made by us."

BJP general secretary Bhupender Yadav was also present.

Sources said that NCBC member Sudha Yadav quoted from a report of a parliamentary committee headed by Yadav (Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Law & Justice) which mentions the backlog (as on January 1, 2019) in recruitment for posts reserved for OBCs in the central government. NCBC members also quoted the report of a parliamentary committee headed by BJP MP Ganesh Singh which said that as on January 1, 2016, the representation of OBCs in Group-A services of the central government was only 13.01 per cent and in Group-B services it was 14.78 per cent.

The NCBC has now started gathering data from all central universities, IITs, IIMs, NITs, IIITs and AIIMS.

The Indian EXPRESS Thu, 23 July https://epape

चाइनीज कहावत

"किसी आदमी को एक मछली दीजिए तो आप एक दिन के लिए उसका पेट भरेंगे। परन्तु किसी आदमी को मछली पकड़ना सीखा दीजिए, तो आप जीवन भर के लिए उसका पेट भर देंगे।"

House panel chief to BJP's OBC MPs: Send tweets to PM, Shah on creamy layer income

SHYAMLAL YADAV
NEW DELHI, JULY 21

THE CHAIRMAN of the Parliamentary panel on OBC welfare, BJP MP Ganesh Singh, has written to other OBC MPs in the party asking them to request Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah through "messages, tweets" to not include salary and agriculture income while calculating annual family income to decide the creamy layer.

Singh's letter comes at a time when the National Commission on Other Backward Classes (NCBC) is yet to finalise its views on the Centre's proposal to raise the income limit of the creamy layer and include salary as a criteria.

In a letter dated July 5 to 112 OBC MPs of both Houses, excluding Modi, Singh wrote that his Parliamentary Committee had recommended that the creamy layer limit be increased to Rs 15 lakh. He wrote that the government is "considering" a "consensus on Rs 12 lakh but salary and agriculture income is also being added in the gross annual income, which is wrong".

Presently, the income limit for the OBC creamy layer is Rs 8 lakh per annum, and decided on rank for government employees and not on salary.

The letter, written in Hindi, states: *"Pradhanmantri ji aur Grihmantri ji se agrah hai ki vetan aur krishi se huyi aay ko sakal varshik aay ki ganana karte samay na joda jaaye. Aisa sandesh, message, tweet bhejne ka kasht karen* (The Prime Minister and Home Minister are requested to not include salary and agriculture income while calculating gross annual income, please send such messages and tweets)."

Speaking to *The Indian Express*, Singh, who represents Satna in MP, said: "There is nothing wrong in writing to MPs of my party. We are worried that if the government's proposal to include salary is accepted, the representation of OBCs in government ranks will shrink further."

Sources told *The Indian Express* that a draft Cabinet note — which states that the creamy layer will be determined on all income, including salary calculated for Income Tax, but not agriculture income — was forwarded to the NCBC by the Ministry of Social Justice and Empowerment on March 12.

While the draft excludes agriculture income, sources said that among the five members of the NCBC, which enjoys Constitutional status, four are against any possible move to include salary — and agriculture income at any later stage.

When contacted, NCBC chairman Bhagwan Lal Sahni said: "We are discussing the proposal in the Cabinet note. We will finalise and send our views to the government in a week."

For government employees, their children are considered to be in the creamy layer if either of the parents are directly recruited in Group-A or if both are in Group-B. They will also be considered if their parents enter Group-A through promotion before the age of 40.

The Indian EXPRESS Wed, 22 July https://epape

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं

▸ **कई कॉलेजों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र**

ओमवीर यादव, नई दिल्ली।

विडम्बना देखिए विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले लम्बा समय बीत गया है, लेकिन पिछड़े वर्ग का आज भी एक भी प्रोफेसर के पद शिक्षक नहीं है। देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर पिछड़े वर्ग का शून्य प्रतिनिधित्व है। अगर बात एसोसिएट प्रोफेसर की करें तो यहा भी पिछड़ों का शून्य प्रतिनिधित्व हो है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी 15.85 प्रतिशत ही नियुक्त हो सके है। जबकि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व 27 प्रतिशत होना चाहिए। वही अगर कुल तीनों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तथा असिस्टें प्रोफेसर को मिला कर बात की जाए तो पिछड़े वर्ग को अभी केवल 10.25 प्रतिशत ही भागीदारी ही मिल पायी है। देश कुल 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 17869 हजार पद हैं जिनमें पिछड़े वर्ग को केवल 1141 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही भागीदारी मिल सकी है।

इसी को लेकर विजेंद्र कुमार, अम्बेडकर कालेज, चमन सिंह, आचार्य नरेंद्र देव कालेज, तथा अशोक कुमार यादव, श्याम लाल कालेज में तैनात लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा है। इन्होंने मांग की है कि इतने सालों के बाद भी इस वर्ग के साथ न्याय क्यों नहीं हो पाया। उन्हों ने कहा कि अभी आरक्षण पूरा मिल भी नहीं पाया और समीक्षा शुरू हो गई। जो थोड़े बहुत लोग मुख्यधारा में आ भी पाये हैं। सुनने में आ रही है कि सरकार क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाकर उसे भी बंद करना चाहाती है। जबतक पूरा कोटा न मिल जाये इस तरह की बात करना बेमानी होगी। जबतक पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

THE HINDU
NEW DELHI , OCTOBER 30, 2020 20: 12 IST

OBC reservation in Sainik schools from 2021-22

From the academic year 2021 -22, reservation for Other Backward Classes (OBC) will be introduced in Sainik schools across the country, Defence Secretary Ajay Kumar said on Friday in a Twitter post.

Following the decision, the allocation of seats in Sainik schools would be Scheduled Castes (SC) 15%, Scheduled Tribes (ST) 7%, OBC (non - creamy layer) 27%, defence category 13% and general category 38%, according to a Defence Ministry notification. Dated October 13, the notification was sent to principals of all Sainik schools across the country.

THE TIMES OF INDIA, DELHI/BHOPAL/GWALIOR/JABALPUR
THURSDAY, JULY 16, 2020

Absence of OBC reservation a systemic issue

Richardson Wilson

A month ago, a strange scene played out before the Supreme Court, albeit over a virtual hearing. All the major political parties in Tamil Nadu, including the DMK and the AIADMK had filed PILs before the court seeking to implement reservation for other backward class (OBC) students in undergraduate, postgraduate and diploma medical and dental admissions.

It was unprecedented for all these parties to unite and speak in one voice on any issue, let alone fight alongside one another in court. Their grievance is that the Union government has not allocated seats for OBC students in these courses for the past four years, despite the law conferring reservation.

Medical and dental education underwent a sea change with the introduction of the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) in 2016. The relevant regulations state that the reservation shall be as per applicable laws prevailing in states/ Union territories where the medical college is situated. Therefore, it follows that for medical/ dental colleges in Tamil Nadu, the state's reservation laws should apply. Tamil Nadu's 1993 Act provides for 30% reservation for backward classes (BCs) and 20% reservation for most backward classes (MBCs). The Central Educational Institutions Reservation in Admissions Act, 200, prescribes 27% reservation for OBCs in central educational institutions. Therefore, as per these laws, CEI medical colleges should have 27% of their seats reserved for OBCs, and other colleges should apply state reservation laws.

A lacuna has arisen because of a concept called 'All India Quota' framed by the Supreme Court of India in 1984 in the case of Pradeep Jain vs Union of India. To prevent states from reserving 100% of seats in medical colleges within their states for their own students, using domicile and institutional preference reservation, the SC held that a certain percentage of seats in all state colleges be set apart for an all-India quota (AIQ), in which students from all states could compete equally. At present, 15% of seats in UG and 50% of seats in PG courses are "surrendered" by the states to this AIQ. Peculiarly, for the past four years since the introduction of NEET, no OBC reservation have been given in this AIQ. As a result, OBC students have lost thousands of seats each year. Tamil Nadu has surrendered 8,121 seats between 2013-2020. Of this, if state reservation were applied, almost 4,050 seats should have been reserved for OBC students.

This issue has been repeatedly flagged by the DMK and its MPs in Parliament. On July 26, 2019 DMK member P Wilson raised this issue during question hour and he also wrote to the Union minister of health and family welfare, but the Centre has not budged so far, and hence the PILs filed before the Madras high court. There has been clear injustice meted out to the OBC students aspiring for admission in UG and PG medical and dental courses. This sorry state of affairs should be rectified by allocating more seats in the upcoming years and allotting them to the OBC category. This would in some way attempt to right the wrong done to the community.

(The writer is an advocate at the Madras high court)

KEEPING TRACK

No seats have been reserved for students belonging to the OBC quota

	Seats surrendered by TN	Seats reserved		
		General (77.5%)	SC (15%)	ST (7.5%)
PG medical	5,247	4,084	783	330
PG dental	155	121	22	12
UG medical	2,583	2,010	380	193
UG dental	136	107	19	10
TOTAL	8,121	6,322	1,204	[illegible]

● डॉ0 अमृतांशु
● डॉ0 हेमन्त कुशवाहा

छत्रपति शाहू जी महाराज

हिन्दुस्तान की धरती महापुरूषों की धरती है। समय समय पर अनेक महापुरूषों का अवतरण हुआ है। ऐसे ही एक युग पुरूष थे छत्रपति शाहू जी महाराज। छत्रपति शाहू जी महाराज अत्यंत दूरदर्शी, दृढ़प्रतिज्ञ एवं लोक कल्याणकारी शासक थे।

शाहू जी महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 में पेशवा शाही के राज्य महाराष्ट में कोल्हापुर के राजमहल में हुआ, जो आज सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता है। शाहू जी महाराज के पिता का नाम श्री जय सिंह राव (आबा साहब) घातमे था, इनकी माता राधा बाई मुधोल के राजा साहेब की पुत्री थी। शाहू जी महाराज के बचपन का नाम यशवंत जय सिंह घातमे था। अल्पायु से ही काल के क्रूर चक्र ने शाहू जी महाराज के धैर्य की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। आपकी माता जी का देहांत 1877 में आपकी तीन वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, एवं 12 वर्ष की किशोरा अवस्था में 20 मार्च 1886 को आपको पिता की छत्र छाया से वंचित होना पड़ा। 11 मार्च 1884 को 10 वर्ष की आयु में कोल्हापुर की महारानी आंनदीबाई ने आपको गोद लिया। शाहू जी महाराज की प्रारम्भिक शिक्षा कोल्हापुर में ही के बी गोखले जी की देख रेख में सम्पन्न हुई। शाहू जी की अंग्रेजी भाषा में विशेष रूचि थी अतः उन्हें आगे की शिक्षा के लिए राजकोट के राजकुमार कॉलेज भेजा गया। उनके साथ गोखले जी एवं बुआ साहेब इंगिल निजी ट्यूटर के रूप में गये। शाहू जी के पिता जी ने रिजेंट विलियम ली वार्नर के समक्ष इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इग्लैण्ड भेजा जाए। सन् 1888–1889 में राजाराम कॉलेज के प्रधानाचार्य सीएच केनेडी के दुर्व्यवहार के कारण के कारण कॉलेज छोड़ दिया। तब उनकी आगे की शिक्षा आई सी एस स्टुवर्ट मिट फोर्ड के द्वारा की गई। 17 वर्ष की अवस्था में 1 अप्रैल 1891 में आपका विवाह बड़ौदा राज्य के जागिरदार गुणाजीराव खान बट्कर की पुत्री लक्ष्मी बाई के साथ सम्पन्न हुआ। लक्ष्मी बाई बड़ौदा नरेश गणपति राव गायकवार्ड की बहन की पौत्री थी। 10 मार्च 1994 में शाहू जी महाराज को प्रथम संतान पुत्री हुई। उनके दो पुत्र एवं दो पुत्रियां थी।

राज्याभिषेक के समय पुरोहित ने वेद मंत्रों का उच्चारण करने से इंकार कर दिया, इस आधार पर कि शाहू जी शुद्र है।

2 अप्रैल 1894 को 20 वर्ष की अवस्था में कोल्हापुर राजसिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुए। यहीं से शाहू जी के सामाजिक जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। उनके राज्याभिषेक के समय पुरोहित ने वेद मंत्रों का उच्चारण करने से इंकार कर दिया, इस आधार पर कि शाहू जी शुद्र है। एक बार शाहू जी महाराज तरणताल में स्नान करने गए वहां पर राजपुरोहित बिना स्नान किए मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शाहू जी महाराज ने कहा आपकी तबीयत तो खराब नहीं, कहीं आपका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ गया, जो बिना नहाये मंत्रों का उच्चारण कर रहें है। पुरोहित ने कहा कि वैदिक मंत्र क्षत्रियों के लिए होते है तथा तभी स्नान करके बोले जाते है। शाहू जी महाराज ने पुछा कि पहले मैं क्षत्रिय था अब क्यों नहीं है। पुरोहित ने जवाब दिया जब तक आप हमें अपने से सर्वोपरि मानते रहे और राजतंत्र के अनुसार शासन चलता रहा तब तक आप क्षत्रिय थे और अब आप हर समय नीची जातियों के लोगों

पुरोहित ने जवाब दिया जब तक आप हमें हपने से सर्वोपरि मानते रहे और राजतंत्र के अनुसार शासन चलता रहा तब तक आप क्षत्रिय थे और अब आप हर समय नीची जातियों के लोगों से घिरे रहते है

से घिरे रहते है। आपने उनके दिमाग खराब कर दिए हैं। महाराष्ट्र के अन्य ब्राम्हणों ने महाराज को सूचित किया कि यदि क्षत्रिय कहलाने की इच्छा रखते है तो उन्हें चाहिए कि दक्षिण भारत समेत कोल्हापुर के ब्राम्हणों से क्षत्रिय होने की सामूहिक घोषणा कराये, एवं उक्त घोषणा को मान्यता प्राप्त कराने के लिए संकेश्वर के शकराचार्य की सहमति अनिवार्य होगी। शाहू जी महाराज ने धार्मिक मठ की गद्दी पर सुयोग्य एवं चरित्रवान व्यक्ति को बैठाने की बात की तो ब्राम्हणों ने घोर विरोध किया। शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे ब्रम्हनालकर ने यहां तक घोषणा की कि शाहू जी को कोई संस्कार वेदोक्त पद्धति से करवाने का अधिकार नहीं है।

शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे ब्रम्हनालकर ने यहां तक घोषणा की कि शाहू जी को कोई संस्कार वेदोक्त पद्धति से करवाने का अधिकार नहीं है।

शाहू जी महाराज का दृढ मत था कि समाज सुधार के लिए सबसे पहले जनता को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने अपने भाषणों में स्पष्ट कहा था कि जब तक शिक्षा का स्तर समाज के सभी वर्गों में समान नहीं होगा तब तक भेद भाव व छुआछूत बना रहेगा। उनका कहना था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार वे सामर्थ्य अनुसार जीवन भर करते रहेंगे। शाहू जी अपने राज्य के दलितों एवं पिछडों में शिक्षा का प्रसार काफी तेजी से देखना चाहते थे परन्तु उनके अथक प्रयासों के बाद भी प्रगति आशानुकूल नहीं रही। अतः 28 मई 1913 को एक राजाज्ञा जारी की गयी जिसमें प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान था, एवं उसकी व्यवस्था उसी गांव के बहुसंख्यक जाति के व्यक्ति को सौंपी गयी।शाहू जी के राज्य में प्राथमिक शिक्षा सन् 1912 से निशुल्क कर दी गई एवं 1917 से शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य हो गई। शाहू जी महाराज स्त्रियों की शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने 500 से 1000 तक की आबादी वाले सभी गावो मे कन्या विद्यालय खोलने की योजना चलाई। उन्होंने विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग हाउस के नाम से एक छात्रावास बनवाया। इस छात्रावास मे निर्धन एवं दलित छात्र रहते थे। इन छात्रों को अनुदान एवं छात्रवृति दी जाती थी। सन् 1920 में जब ब्रिटिश सरकार न्यायालयों मे भारतीय जजों एवं मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति कर रही थी, शाहू जी ने शिक्षित दलितो, पिछड़ो को प्रेरित किया तथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जिसके आधार पर वे कचहरियों में नौकरियां पा सके।

शाहू जी महाराज अत्यंत दूरदर्शी थे, उन्होंने 1902 मे अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पिछडो एव दलितो के लिए की। 1919 मे शाहू जी ने कई सामाजिक कांति लाने वाली घोषणाएं की जिनमें से पहले कोई भी अछूत अस्पताल मे ससम्मान प्रवेश पा सकेगा, उसके साथ सज्जनता का व्यवहार किया जाएगा, इसके पूर्व कोई भी अछूत अस्पताल मे प्रवेश नहीं पा सकता था। यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी रोगी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव बरतेगा तो उसे छः सप्ताह के भीतर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी राजाज्ञा के अनुसार प्राईमरी स्कूलों, हाई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों में जातियों के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए। तीसरा महत्वपूर्ण आदेश था कि सभी राजकीय अधिकारी सरकारी विभागों में कार्य कर रहे दलित जाति के कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करें तथा उनके साथ छुआछूत का व्यवहार न करें। जो अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे वे छः माह के भीतर सेवा से त्याग पत्र दे, ऐसे अधिकारी पेंशन पाने के अधिकारी भी नहीं रहेगें।

सन् 1920 में जब ब्रिटिश सरकार न्यायालयों में भारतीय जजों एवं मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर रही थी, शाहू जी ने शिक्षित दलितों, पिछड़ों को प्रेरित किया तथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जिसके आधार पर वे कचहरियों में नौकरियां पा सकें।

महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना समाज में एक हलचल पैदा की और दबे कुचले समाज को एक आवाज दी। 1890 में महात्मा फूले की मृत्यु के बाद यह आन्दोलन कमजोर पड़ गया था। जनवरी 1910 को कोल्हापुर में शाहू जी महाराज को नया जीवन मिला। जुलाई 1913 में शाहू जी ने कोल्हापुर में एक सत्यशोधक स्कूल की स्थापना की एवं इसका संचालन धनगर जाति के शिक्षाविद् विट्ठल दोने को दिया। इस स्कूल में कर्मकाण्ड (विवाह संस्कार, तेरहवीं, वर्षी, उपनयन आदि) की शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में शिक्षा ग्रहणकरने वाले सभी छात्र और ब्राम्हण जाति के थे एवं शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुराहित का काम करते थे।

शाहू जी महाराज ने हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमानों में भी शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन सोसायटी को काफी जमीन एवं राजकीय सहायता दी। शाहू जी ने मुसलमानों के लिए अलग से छात्रावास बनाए एवं भारी राजकोषीय सहायता दी एवं उनका प्रबन्धन यूसूफ अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के हाथों में दिया। शाहू जी ने मुस्लिमों के लिए

कुरान शरीफ का मराठी में अनुवाद भी करवाया।

डा0 अम्बेडकर ने शाहू जी के आर्थिक सहयोग से 31 जनवरी 1920 को "मूक नायक" साप्ताहिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया।

शाहू जी महाराज ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा के लिए भी सहयोग किया एवं उन्हें उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए कई बार विदेश भेजा एवं लगातार आर्थिक सहयोग करते रहे। डा0 अम्बेडकर ने शाहू जी के आर्थिक सहयोग से 31 जनवरी 1920 को "मूक नायक" साप्ताहिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। मूक नायक के प्रवेशांक में आपने लिखा कि "हिन्दू धर्म एक ऐसे मुम्बद सरीखा है जिसमें कई मंजिले हैं, पर उसमें न कोई सीढ़ी है और न ही दरवाजा और जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसी में मर जाता है।"

सामाजिक कुरूतियों के उन्मूलन में भी शाहू जी का योगदान अविस्मरणीय है । स्त्रियों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए 1912 में अपने राज्य में विधवा पुर्नविवाह कानून बनाया, स्त्रियों को उनके सभी अधिकार दिलाने की दशा में भारत में यह पहला प्रयास था। शाहू जी महाराज ने 1919 में तलाक कानून पास किया, साथ ही साथ एक कानून और बनाया जिसके अनुसार किसी पुरूष द्वारा स्त्री को प्रताड़ित किए जाने पर उसे दण्डित किए जाने की व्यवस्था थी। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए शाहू जी ने स्वयं आगे आकर प्रयास किए। शाहू जी जब गावों में जाते थे उन्हें शिकायत मिलती थी कि कुएं का पानी अछूतों ने गंदा कर दिया है तब शाहू जी महाराज स्वयं उन कुओं का जल पिया करते थे। शाहू जी महारों, मोंगां के हाथों से अन्न ग्रहण किया करते थे।

"हिन्दू धर्म एक ऐसे मुम्बद सरीखा है जिसमें कई मंजिले हैं, पर उसमें न कोई सीढ़ी है और न ही दरवाजा और जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसी में मर जाता है।"

उनके सामाजिक उत्थान के कार्यों से उच्च वर्गीय राजकर्मियों ने महाराज के राज्य की व्यवस्था को अपंग बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री से संतरी तक के पदों पर इन वर्गों के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। परन्तु शाहू जी ने इससे न घबराते हुए सभी के इस्तीफे सहर्ष मंजूर कर लिए। उन्होंने अपने राज्य में दलितों एवं पिछड़ों की नई भर्ती कर राज व्यवस्था को स्थापित किया।

यह महान दलित उद्धारक, शिक्षा प्रेमी, सच्चा समाज सेवी, दलितों एवं पिछड़ों का मसीहा उनकी सेवा करते करते अल्पायु में ही 48 वर्ष की अवस्था में 6 मई 1922 को प्रातः 6 बजे अपनी जीवन लीला समाप्त कर गये और अपने पीछे कभी न भरा जाने वाला शून्य छोड़ गए। —000—

सूचना

वैश्विक महामारी कोविड-19 के जानलेवा संक्रमण के कारण एवं कतिपय कारणों से यह अंक अस्वाभाविक विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है। सभी आत्मीय बन्धुओं, पाठकों से निवेदन है कि वे यथायोग सहयोग बनाये रखें।

- सम्पादक

कभी न भूलने वाली बातें

- अगर मेहनत आदत बन जाए, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।
- मंजिले भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते है कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है।
- आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जायेगी।

  हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लायेगी।

सरकार का स्पष्टीकरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

By Email

No.ICMR/HRSC/Misc/2020-Rcell

Dated, the 29th Dec, 2020

Dr.Rajesh Bhushan,
Secretary(Health & Family Welfare)
Email- secyhfw@nic.in

Sub: Non-Implementation of Reservation Policy to OBC/ SC/ ST candidates in direct recruitment posts of Sc-D & E, Director and Head posts in ICMR Institutes -

Sir,

Reference your email dated 01.12.2020, you are hereby informed that the reservation policy is not applicable in direct recruitment posts of Scientist-C and above in ICMR. As far as fee exemption for OBC applicants is concerned, there is no clause for exemption of fees for OBC candidates.

Yours faithfully,

29/12

(Jagdish Rajesh)
Asstt.Director General(Admn.)

Copy to:
Sh.G.Karunanidhy, Gen. Secretary, AIOBC Federation.
Email- aiobcfederation@gmail.com

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 4911,
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029, भारत
V. Ramalingaswami Bhawan, P.O. Box No. 4911,
Ansari Nagar, New Delhi - 110 029, India

Tel: +91-11-26588895 / 26588980 / 26589794
+91-11-26589336 / 26588707
Fax: +91-11-26588662 | icmr.nic.in

इस पत्र के संज्ञान में आने के तुरन्त बाद AIOBC Federation ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा (पृष्ठ-17 पर प्रकाशित) - **सम्पादक**

www.aiobcfederation.org
e-mail : aiobcfederation@gmail.com
Mobile: 938 100 7998

AIOBC

AIOBC
ALL INDIA FEDERATION OF OTHER BACKWARD CLASSES EMPLOYEES' WELFARE ASSOCIATIONS

(National Organisation representing Central Govt. and Public Sector OBC Employees) (Regd, 40/1993)

Correspondence Address : 139, Broadway, Chennai - 600 108

President
V.Hanumantha Rao,Ex.M.P
Ex.Convenor, OBC MPs Forum

Working President
J.Parthasarathy
Editor, Voice of OBCs

General Secretary
G. Karunanidhy
(Union Bank of India)

Treasurer
M.Elangovan
(IIT-Madras)

Vice Presidents
Asok Kr.Sarkar
(West Bengal Federation)
V.N.Purushothaman
(NLC, Neyveli)
U.Chinnaiah
(Telangana State Federation)
M.S.Rajarajan
(BHEL, Trichy)
V.Danakarna Chary
(Telangana State Federation)

Dy.Gen.Secretaries
M.George Fernandez
(Bank of Baroda)
S.Ravikumar
(HAL, Hyderabad)

Organising Secretaries
Dr.Amritanshu
(UP State Federation)
Raama.Vhempalyan
(CPCL)

Secretaries
Pradeep Dhoble
(Air India, Mumbai)
G.Mallesh
(GIC-Oriental Insurance)
Ravindra Ram
(Bihar State Federation)
S.Anbu Kumar
(ICF, Chennai)
Reba Handique
(Assam State Federation)
Niranjan Bhowmick
(Reserve Bank of India)
A.Rajasekaran
(Indian Overseas Bank)
T.Muthukumaran
(Madras Fertilizers Ltd)
V.Karunakar
(BDL, Telangana State)
S.Prabakaran
(GIC-New India Assurance)
G.Pandu
(Ordnance Factory, Medak)
G.Ramraj
(BHEL, Hyderabad)

Asst. Treasurer
S.Ramamoorthy
(ESIC)

29th December 2020

Respected
Dr.Bhagwan Lal Sahani
Hon'ble Chairperson
National Commission for Backward Classes
Govt. of India
New Delhi.

Respected Sir,

Sub: **Complaint against ICMR on Non- Implementation of Reservation policy to OBC/SC/ST candidates in direct recruitment posts of Scientist D & E, Director and Head posts in ICMR Institutes**

Ref: **RECRUITMENT NOTICE FOR SCIENTIFIC POSITIONS**

1. Adv. No. ICMR/Sc-E & Sc-D/2020/2-Pers, Last Date: 5.12.2020
2. Advt. No.ICMR/HEAD/2020/1-Pers., Last Date: 25.01.2021
3. Adv. No.ICMR/DIR/2020/3-Pers., Last Date: 18.01.2021

We would like state that in response to our representation dated 1.12.2020 on the subject, we have received reply from Asst. Director General (Admin.), dated 29.12.2020 as under:

i) reservation is not applicable in direct recruitment posts of Scientist-C and above.

ii) As far as fee exemption for OBC applicants is concerned, there is no clause for exemption of fees for OBC candidates.

The Central Educational Institutions (Reservations in Admissions) Act, 2006 does not exclude ICMR from providing reservation to Scientists Posts.

While EWS among upper castes, without any representation from anyone, have been given application fee exemption, the OBC candidates have to pay application fees despite frequent representations.

Kindly take this representation as our complaint and request your goodself to direct the ICMR to provide reservation to OBC/SC/ST as well as extend application fee exemption to OBCs also as is given to other reserved categories including EWS.

We request your kind consideration.

With respectful regards,

Yours sincerely,

(G.KARUNANIDHY)
GENERAL SECRETARY

Copy submitted to:
Hon'ble Vice-Chairperson and Hon'ble Members, NCBC, New Delhi

आयोग का हस्तक्षेप

Tele : 26189210
Fax : 26183227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली – ११००६६
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110066

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
Government of India
MINISTRY OFSOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTCE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

F. No. NCBC/06/05/214/2020 **Date: 01.01.2021**

Hearing Notice

To,

1. **Secretary,**
   Ministry of Health and Family Welfare,
   Nirman Bhawan, Near Udyog Bhawan Metro Station,
   Maulana Azad Rd, New Delhi-110011
   Email: Secyhfw@nic.in

2. **DDG, Medical**
   Medical Counsel Committee,
   Directorate General of Health Services,
   Ministry of Health and Family Welfare,
   Nirman Bhawan, New Delhi-110108.

Sub: Complaint by Shri G. Karunanidhy, General Secretary, All India Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association, Chennai against zero reservation to OBC in PG Medical admission under AIQ.

Sir,

National Commission for Backward Classes, a Constitutional body set up under Article 338B of the Constitution is inter-alia, entrusted with duties to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of Backward Classes and has been given powers of civil court to deal with the complaints.

2. **Dr. Bhagwan Lal Sahni**, Hon'ble Chairman, National Commission for Backward Classes, has fixed a Full Commission Hearing of the matter on **07.01.2021** at **2:30 PM** in the Commission's Court Room, Ground Floor, Trikoot -1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 for investigation/inquiry/action to be taken in the matter.

3. Accordingly, you are requested to appear in person for hearing before the Hon'ble Commission on the above scheduled date and time along with full facts and all relevant original records/documents pertaining to the case. The petitioner will also be advised to be present in the hearing.

4. Please take notice that in case you fail to attend the hearing, the Commission is at liberty to exercise the powers of Civil Court under clause (8) of article 338 B of the Constitution of India for enforcing your attendance before the Commission.

Yours faithfully,

M. M. Chattopadhyay
(Dr. M. M. Chattopadhyay)
Joint Director

Antagonism

Be fearful and daunted
With changing scenario get frightened
The time taking turn, it's time to alert
Transformed human beings' anxiety
Shaping casteless unique society
Coming out of stagnant water with passion
Overwhelmed with love and compassion
No God ,no soul, no blind faith
No talisman, all rational, no room for hate
No finger will have lucky stone ring
Turning the wheel of law is in full swing
Up and up- ascending time's spokes
Altering society and prevailing hopes
Five fingers altogether to fist and fight
Reveal the plight , got ready to write
Act of exploitation, inhuman retaliation
And age long served superstition
Sacrifices,ideality and precepts pious
Antagonism-protest from millions voice
Strong pens of yours, enriching newspaper
Write down which you long whatsoever
Gossips,fabled tales and false narrations
Vedas' descriptions with myriads of illustrations
Hypnotized innocent ancestors' helplessness
Bound to embrace the agony of darkness
Nay, no more trade of magical affair
Nothing such should happen here
Forget not raised hands billion
Ready to ruin mirage like vision
Struggling to brighten coming days
Step by step seeking new ways
Unfolding rotten knots, breaking rusted bars
Marching ahead imbibing glorious past
Inclined to read Forward Press-Bayaan-Dalit Voice
Khattar Kaka or Gulaam Giri is the prime choice
With Buddha and His Dhamma, Annihilation of Castes
That's why warn you to print our thoughts
One amidst sixteen pages ,reserve for our cause
Kumbha-embellishment of God, give them a pause
Bring out the pain of disparity and humiliation
Social venom-conservative tradition-discrimination
Let us create a world of humanity
Let us learn equality-liberty-fraternity
Must be recognised a human being by deed
Not by birth, not by blood nor clan nor creed
You may trade the news, but must include our views
It's our birth right , we must not be deprived.....

अशोक आनन्द

● **अशोक आनन्द**
संपादक
मो.: 09839041778

हमें जरूर छापना

डरो
बदलते हुए समय से डरो
तुम्हें डरना चाहिए
वक्त करवटें बदलने लगा है
एक नया समाज गढ़ने लगा है
प्रेम -करुणा-मैत्री वाला जातिविहीन समाज
आत्मा -परमात्मा -देवी-देवता- किस्से- कहानियां-गल्पें
कुछ भी आतार्किक नहीं होंगी इसमें
नहीं होंगे ताबीज-गंडे अंध शेखियां,
ना हीं पाँचों उँगलियों की अँगूठियाँ
समय का गतिमान पहिया ,
नीचे से ऊपर आतीं तीलियां
परिवर्तन-परिवर्तन, नव समाज -नव गतिविधियां
हिसाब मांगने को हमारी बंद मुट्ठियाँ
हमें परोसे अंध विश्वास औ ज्यादतियां
क्यों नहीं छापते-बताते अमानुषिक कृतियाँ
लाखों-लाख कण्ठों से निकले प्रधिरोध के स्वर
हमारी कुरबानियां और हमारे आदर्श
हमारी परम्परा की बातें ,हमारे उपदेश
तुम्हारे पास है कलम औ कई पन्नों का अखबार
लिख लो जो मन चाहे, बने रहो मालदार
गप्पें ,झूठी कहानियां , मिथक-आख्यान
सदियों परोसे वेद-पुराण कल्पित व्याख्यान
सीधे-सादे पूर्वजों का अंधविश्वासी निर्माण
अब चलेगा नहीं और आगे ये तिलस्मी कारोबार
भूलो मत करोड़ों उठ चुके हाथ मजबूत
विभेद और मिथ्या दृष्टि होंगे नेस्तनाबूद
भविष्य-निर्माण में जूझती हमारी पीढ़ियां
चढ़ रहीं सीढियां-दर-सीढियां
तोड़ जन्मों की रूढ़ियां
पढ़ने लगीं हैं अपनी परम्परा का इतिहास
फारवर्ड प्रेस ,बयान और दलित वाइस
हाथों में आ चुके हैं गुलाममिरी औ खट्टर काका
बुद्ध और धम्म, जाति उन्मूलन बता चुके हैं बाबा
इसीलिए समझाता हूँ छापो हमारे भी विचार
मत छापो केवल कुम्भ-स्नान-देवी शृन्गार
सोलह पन्नों में कहीं न कहीं ,एक ही पन्ना सही
सुनाई दे दस्तक , जहां दिखाई दे उपस्थिति
छापना शुरू करो वंचितों की पीड़ा, जाति-क्लेश
यथास्थितिवादियों के उपजाये सामाजिक विद्वेष
अब रचने दो हमें एक अनूठा संसार
लाने दो समता-समानता आपसी प्यार
पढ़ाने दो कर्मणा संस्कृति का मानवोचित पाठ
तोड़ने दो जन्मना संस्कृति की सड़ी-गली गांठ
बेचो अखबार ,करो व्यापार हमें तो सब स्वीकार
पर मत छीनो हमसे हमारा जन्म -सिद्ध अधिकार.

- महिला उद्यमी के स्वामित्व/ प्रबंधन के अंतर्गत विशेष एमएसएमई ऋण उत्पाद
- अधिकतम ऋण सीमा – ₹ 200 लाख
- ₹100 लाख तक के ऋणों के लिए अल्प मार्जिन राशि
- आकर्षक ब्याज दर
- कोई प्रोसेसिंग प्रभार नहीं
- सीजीटीएमएसई के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia